भारत सरकार
और
तजाकिस्तान गणराज्य की सरकार
के बीच
हवाई सेवा समझौता

भारत सरकार और ताजिकिस्तान गणराज्य की सरकार (जिन्हें आगे 'संविदाकारी पक्ष' कहा गया है)

जो दिनांक 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए खोले गए 'अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय' के पक्षकार हैं;

नागर विमानन क्षेत्र में अपने आपसी संबंधों को बढ़ावा देने और अपने-अपने क्षेत्रों के बीच हवाई सेवाएँ शुरू करने के उद्देश्य से एक समझौता करने की इच्छा रखते हुए;

निम्नानुसार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

परिभाषाएं

इस समझौते के प्रयोजन हेतु, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे:

(क) "वैमानिकी प्राधिकारी" शब्द का आशय भारत के मामले में महानिदेशक, नागर विमानन से है और तजाकिस्तान के मामले में नागर विमानन प्राधिकारी से है, अथवा दोनों ही मामलों में, उक्त प्राधिकारियों द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों को संपादित करने हेतु प्राधिकृत किसी व्यक्ति या निकाय से है।

(ख) "नामित एयरलाइन" शब्द का आशय ऐसी एयरलाइन(एयरलाइनों) से है जिसे एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों ने इस समझौते के अनुच्छेद 3 के अनुसार दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को लिखित रूप में नामित किया हो।

(ग) "अभिसमय" से आशय शिकागो में दिनांक 7 दिसंबर, 1944 को हस्ताक्षर हेतु खोले गए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है, तथा इसमें उस अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अंतर्गत अंगीकृत किसी अनुबंध और अनुच्छेद 90 तथा 94 के अंतर्गत अनुलग्नकों या अभिसमय में किए गए किसी संशोधन को उस सीमा तक शामिल किया गया है, जिस सीमा तक ऐसे अनुलग्नक और संशोधन दोनों संविदाकारी पक्षों द्वारा अंगीकृत किए गए हों; तथा

(घ) "क्षेत्र", "हवाई सेवा", "अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा" और "गैर-यातायात प्रयोजनों हेतु स्टॉप" शब्दों के वही अर्थ हैं जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 और 96 में क्रमशः इनके लिए उल्लिखित हैं।

अनुच्छेद 2

यातायात अधिकारों का प्रदान किया जाना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, दूसरे पक्ष को इस समझौते के अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं की स्थापना के प्रयोजन हेतु इस समझौते में विनिर्दिष्ट अधिकार प्रदान करता है। ऐसी सेवाओं और मार्गों को क्रमशः इसके पश्चात "सहमत सेवाएं" और "विनिर्दिष्ट मार्ग" कहा जाएगा।

2. इस समझौते के उपबंधों के अधीन, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:

(क) दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र के ऊपर से बिना लैंड किए उड़ान भरने का;

(ख) गैर-यातायात प्रयोजनों हेतु दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में ठहराव करने का; तथा

(ग) किसी विनिर्दिष्ट मार्ग पर सहमत सेवा का संचालन करते समय, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) को इस समझौते के अनुलग्नक में उस मार्ग हेतु विनिर्दिष्ट बिंदु(बिंदुओं) पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में यात्रियों, कार्गो या डाक के अंतर्राष्ट्रीय यातायात के आरोहण और अवरोहण का अधिकार भी प्राप्त होगा।

3. इस अनुच्छेद के खंड (2) में की गई कोई भी बात, एक संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन को दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में, उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र के किसी अन्य बिंदु के लिए गंतव्य यात्रियों, कार्गो या डाक को लेने का विशेषाधिकार प्रदान करती हुई नहीं मानी जाएगी।

अनुच्छेद 3

एयरलाइनों का नामांकन

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं के संचालन के प्रयोजन हेतु दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित रूप में दो एयरलाइनों तक नामित करने का अधिकार होगा।

2. ऐसे नामांकन की प्राप्ति पर, दूसरा संविदाकारी पक्ष, इस अनुच्छेद के खंड (3) और (4) के प्रावधानों के अधीन, बिना विलंब नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) को समुचित परिचालन प्राधिकार प्रदान करेगा।

3. एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन से यह संतुष्ट होने की अपेक्षा कर सकते हैं कि वह अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे प्राधिकारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के संचालन पर सामान्यतः लागू विधियों और विनियमों के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए योग्य है।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को किसी भी ऐसे मामले में, जहां संबंधित संविदाकारी पक्ष इस बात से संतुष्ट न हो कि उस एयरलाइन का सारभूत स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण एयरलाइन को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या उसके नागरिकों में निहित है, इस अनुच्छेद के खंड (2) में निर्दिष्ट परिचालन प्राधिकारों को प्रदान करने से इनकार करने, अथवा अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट अधिकारों के नामित एयरलाइन द्वारा प्रयोग पर ऐसी शर्तें अधिरोपित करने का अधिकार होगा जिन्हें वह आवश्यक समझे। इस खंड के प्रयोजन हेतु, "सारभूत स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण" अभिव्यक्ति का आशय है कि किसी भी ऐसे मामले में जहां नामित एयरलाइन किसी अन्य देश की एयरलाइन के साथ या किसी अन्य देश की सरकार या नागरिकों के साथ कोई समझौता करके इस समझौते के अंतर्गत अपनी सेवाओं का संचालन करती है, वहां एयरलाइन को नामित करने वाला

संविदाकारी पक्ष या उसके नागरिक, नामित एयरलाइन के सारभूत स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण रखने वाले नहीं माने जाएंगे, जब तक कि संविदाकारी पक्ष या उसके नागरिक, नामित एयरलाइन की परिसंपत्तियों के बड़े भाग के स्वामित्व के अतिरिक्त, निम्नलिखित भी न रखते हों :-

(i) नामित एयरलाइन के प्रबंधन में प्रभावी नियंत्रण, तथा

(ii) सेवाओं के संचालन में उपयोग किए जाने वाले विमान और उपस्कर के बेड़े के बड़े भाग का स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण।

5. इस प्रकार नामित और प्राधिकृत एयरलाइन, इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 10 और 12 के प्रावधानों का अनुपालन किए जाने के अधीन, किसी भी समय सहमत सेवाओं का संचालन प्रारंभ कर सकती है।

अनुच्छेद 4

परिचालन प्राधिकार का रद्दकरण या निलंबन

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को अपने पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन, पूर्व पक्ष के विधियों और विनियमों का पालन करने में विफल रहती है, अथवा पूर्व पक्ष की राय में, इस समझौते के अनुसार जिन शर्तों के अंतर्गत अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन्हें पूरा करने में विफल रहती है, तो वह परिचालन प्राधिकार को रद्द या निलंबित कर सकता है अथवा ऐसी समुचित शर्तें अधिरोपित कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे। यह तब भी लागू होगा जब अनुच्छेद 3 के खंड (4) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया हो। ऐसी कार्रवाई केवल इस समझौते के अनुच्छेद 15 के अनुसार संविदाकारी पक्षों के बीच परामर्श के पश्चात ही की जाएगी, जब तक कि विधियों, विनियमों या इस समझौते के उपबंधों के आगे उल्लंघन से बचने के लिए परिचालनों का तत्काल निलंबन या शर्तों का अधिरोपण आवश्यक न हो।

अनुच्छेद 5

उपयोगकर्ता प्रभार

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष हवाईअड्डों और अन्य विमानन सुविधाओं के उपयोग हेतु न्यायसंगत और उचित प्रभार अधिरोपित कर सकता है या अधिरोपित किए जाने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि ये प्रभार समान अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं में संलग्न अन्य एयरलाइनों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रभारों से अधिक न हों।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने सक्षम प्रभार लगाने वाले संगठनों और सेवाओं तथा सुविधाओं का उपयोग करने वाली नामित एयरलाइनों के बीच, तथा जहां व्यवहार्य हो, एयरलाइनों के प्रतिनिधि संगठनों के माध्यम से परामर्श को प्रोत्साहित करेगा। उपयोगकर्ता प्रभारों में परिवर्तनों के किसी भी प्रस्ताव की उचित पूर्व सूचना उपयोगकर्ताओं को दी जानी चाहिए ताकि वे परिवर्तन किए जाने से पहले अपने विचार व्यक्त कर सकें।

3. कोई भी संविदाकारी पक्ष अपने सीमा शुल्क, अप्रवासन, संगरोध और समान विनियमों के प्रयोग में, अथवा अपने नियंत्रणाधीन हवाईअड्डों, वायुमार्गों, हवाई यातायात सेवाओं और संबद्ध सुविधाओं के उपयोग में, दूसरे संविदाकारी पक्ष की समान अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं में संलग्न किसी एयरलाइन की तुलना में अपनी या किसी अन्य एयरलाइन को वरीयता नहीं देगा।

अनुच्छेद 6

सीमा शुल्क और प्रक्रियाएं

1. किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं पर संचालित विमान, तथा उनके नियमित उपस्कर, ईंधन और स्नेहकों की आपूर्तियां तथा पहले से विमान पर मौजूद विमान भंडार, जो ऐसे विमान में लाए गए हों या उस पर चढ़ाए गए हों और जो विशेष रूप से ऐसे विमान द्वारा या उसमें उपयोग हेतु आशयित हों, उन्हें दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में सभी सीमा शुल्कों, निरीक्षण शुल्कों और अन्य शुल्कों या करों के संबंध में, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अपनी स्वयं की अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं का परिचालन करने वाली एयरलाइन(एयरलाइनों) को या सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र की एयरलाइनों को प्रदत्त व्यवहार से कम अनुकूल व्यवहार प्रदान नहीं किया जाएगा।

2. यही व्यवहार, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं पर उपयोग किए जाने वाले विमान के रखरखाव या मरम्मत हेतु किसी भी संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में लाए गए कल-पुर्जों को भी प्रदान किया जाएगा।

3. किसी भी संविदाकारी पक्ष को दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) को सीमा शुल्क, निरीक्षण शुल्क या समान प्रभारों में छूट या माफी प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा दूसरा संविदाकारी पक्ष प्रथम संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) को ऐसे प्रभारों में छूट या माफी प्रदान न करे।

4. किसी भी संविदाकारी पक्ष के विमान पर रखे गए नियमित हवाई उपस्कर तथा सामग्री और आपूर्तियां, दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में केवल उस क्षेत्र के सीमा शुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से ही उतारी जा सकती हैं।

5. इस अनुच्छेद के खंड (1), (2) और (4) में निर्दिष्ट सामग्रियों को सीमा शुल्क निगरानी या नियंत्रण के अंतर्गत रखने की अपेक्षा की जा सकती है।

6. किसी भी संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र से होकर सीधे पारगमन में यात्रियों को केवल एक अत्यंत सरलीकृत नियंत्रण के अधीन रखा जाएगा। सीधे पारगमन में सामान और माल को सीमा शुल्कों और अन्य समान करों से मुक्त रखा जाएगा।

अनुच्छेद 7

प्रतिनिधित्व

1. एक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) को, पारस्परिकता के आधार पर, दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में सहमत सेवाओं के संचालन के संबंध में आवश्यक अपने प्रतिनिधियों तथा वाणिज्यिक, परिचालन और तकनीकी स्टाफ को बनाए रखने की अनुमति होगी। यह स्टाफ आवश्यकतानुसार किसी एक या दोनों पक्षों के नागरिकों में से चुना जाएगा।

2. इन स्टाफ आवश्यकताओं को, नामित एयरलाइन के विवेकानुसार, उसके अपने कार्मिकों द्वारा अथवा दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में परिचालनरत तथा उस संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में ऐसी सेवाएं संपादित करने हेतु प्राधिकृत किसी अन्य संगठन, कंपनी या एयरलाइन की सेवाओं का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है।

3. प्रतिनिधि और स्टाफ दूसरे संविदाकारी पक्ष के प्रवर्तनशील विधियों और विनियमों के अधीन होंगे, तथा ऐसे विधियों और विनियमों के अनुरूप, वह संविदाकारी पक्ष, पारस्परिकता के आधार पर और न्यूनतम विलंब के साथ, इस अनुच्छेद के खंड (1) में निर्दिष्ट प्रतिनिधियों और स्टाफ को आवश्यक कार्य परमिट, रोजगार वीजा या अन्य समान दस्तावेज़ प्रदान करेगा।

4. पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) को अपने क्षेत्र में सीधे और अपने विवेकानुसार अपने एजेंटों के माध्यम से हवाई परिवहन की बिक्री में संलग्न होने का अधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक नामित एयरलाइन को ऐसे परिवहन को बेचने का अधिकार होगा और कोई भी व्यक्ति स्थानीय मुद्रा में या किसी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में ऐसा परिवहन खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा।

अनुच्छेद 8

विधियों की प्रयोज्यता

1. अंतर्राष्ट्रीय हवाई दिकचालन में संलग्न विमान के अपने क्षेत्र में प्रवेश और उससे प्रस्थान को शासित करने वाले तथा अपने क्षेत्र के भीतर रहते हुए ऐसे विमान के संचालन और दिकचालन को शासित करने वाले एक संविदाकारी पक्ष के विधि और विनियम, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन के विमान पर लागू होंगे।

2. यात्रियों, चालक दल, माल और डाक के अपने क्षेत्र में प्रवेश, वहां ठहराव और वहां से प्रस्थान को शासित करने वाले, जैसे पासपोर्ट, सीमा शुल्क, मुद्रा और स्वास्थ्य तथा संगरोध से संबंधित, एक संविदाकारी पक्ष के विधि और विनियम, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन के विमान द्वारा वहन किए गए यात्रियों, चालक दल, माल और डाक पर, जब तक वे उक्त क्षेत्र के भीतर हों, लागू होंगे।

अनुच्छेद 9

सेवाओं की क्षमता/आवृत्ति

1. दोनों संविदाकारी पक्षों की एयरलाइनों को अपने संबंधित क्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं का संचालन करने का उचित और समान अवसर प्राप्त होगा।

2. सहमत सेवाओं का संचालन करते समय, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) दूसरे संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन(एयरलाइनों) के हितों को ध्यान में रखेगी, ताकि उस सेवा को अनुचित रूप से प्रभावित न किया जाए जो बाद वाली एयरलाइन(एयरलाइनें) उसी मार्ग पर प्रदान करती है/हैं।

3. नामित एयरलाइनों द्वारा सहमत सेवाओं पर प्रदान की जाने वाली क्षमता का, संविदाकारी पक्षों के क्षेत्रों के बीच यात्रा करने वाली जनता की अनुमानित हवाई परिवहन अपेक्षाओं से घनिष्ठ संबंध होगा।

4. पूर्ववर्ती खंडों में निहित सिद्धांतों के आधार पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमता और संचालित सेवाओं की आवृत्ति दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सहमति से तय की जाएगी।

5. किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमता और/या संचालित सेवाओं की आवृत्ति में किसी भी वृद्धि का आधार मुख्यतः संविदाकारी पक्षों के क्षेत्रों के बीच यातायात की बढ़ी हुई आवश्यकताओं पर होगा, तथा यह दोनों वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सहमति के अधीन होगा। ऐसी सहमति या निपटान के लंबित रहने तक, पहले से प्रभावी क्षमता और आवृत्ति अधिकार यथावत बने रहेंगे।

अनुच्छेद 10

परिचालन जानकारी का प्रावधान

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) से यह सुनिश्चित कराएंगे कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के पास, सहमत सेवाओं के उद्घाटन से कम से कम साठ दिन पूर्व, उनके विचारार्थ और अनुमोदनार्थ, सेवा के प्रकार और उसकी आवृत्ति, उपयोग किए जाने वाले विमान के प्रकार तथा उड़ान अनुसूचियों से संबंधित जानकारी दाखिल करे। सहमत सेवाओं के संचालन के संबंध में जब भी कोई परिवर्तन किए जाने हों, तब भी कम से कम 30 दिन पहले समान जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

2. नामित एयरलाइनें दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को यह संतुष्ट करने के लिए आवश्यक कोई भी अन्य जानकारी भी उपलब्ध कराएंगी कि इस समझौते की अपेक्षाओं का समुचित रूप से अनुपालन किया जा रहा है।

अनुच्छेद 11

सांख्यिकी का प्रावधान

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों अपनी नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) से यह सुनिश्चित कराएंगे कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र से और उसके क्षेत्र को सहमत सेवाओं पर प्रत्येक माह के दौरान वहन किए गए यातायात से संबंधित सांख्यिकी, जिसमें ऐसे यातायात के आरोहण और अवरोहण के प्वाइंट दर्शाए गए हों, उपलब्ध कराए। ऐसी सांख्यिकी प्रत्येक माह की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।

अनुच्छेद 12

टैरिफ

1. निम्नलिखित खंडों के प्रयोजन हेतु, "टैरिफ" शब्द का आशय यात्रियों और माल के वहन हेतु भुगतान की जाने वाली कीमतों तथा उन शर्तों से है जिनके अंतर्गत ये कीमतें लागू होती हैं, जिसमें एजेंसी और अन्य सहायक सेवाओं हेतु कीमतें और शर्तें शामिल हैं, किंतु डाक के वहन हेतु पारिश्रमिक और शर्तें शामिल नहीं हैं।

2. एक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र से या उसके क्षेत्र को वहन हेतु प्रभारित किए जाने वाले टैरिफ उचित स्तरों पर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें परिचालन की लागत, उचित लाभ, और अन्य एयरलाइनों के टैरिफ सहित सभी प्रासंगिक कारकों को समुचित ध्यान में रखा जाएगा।

3. इस अनुच्छेद के खंड (2) में निर्दिष्ट टैरिफ, यदि संभव हो, तो दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित एयरलाइनों के बीच सहमति से तय किए जाएंगे, तथा ऐसी सहमति, जहां तक संभव हो, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की प्रक्रियाओं का उपयोग करके प्राप्त की जाएगी।

4. इस प्रकार सहमत टैरिफ, उनके प्रवर्तन की प्रस्तावित तिथि से कम से कम नब्बे (90) दिन पूर्व, दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे। विशेष मामलों में, उक्त प्राधिकारियों की सहमति के अधीन, यह अवधि घटाई जा सकती है।

5. यह अनुमोदन अभिव्यक्त रूप से दिया जा सकता है। यदि दोनों में से किसी वैमानिकी प्राधिकारी ने इस अनुच्छेद के खंड (4) के अनुसार प्रस्तुतीकरण की तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर अस्वीकृति व्यक्त नहीं की है, तो उन टैरिफ को अनुमोदित माना जाएगा। खंड (4) में उपबंधित प्रस्तुतीकरण की अवधि घटाए जाने की स्थिति में, वैमानिकी प्राधिकारी यह सहमति दे सकते हैं कि जिस अवधि के भीतर कोई अस्वीकृति सूचित की जानी चाहिए वह तीस (30) दिनों से कम होगी।

6. यदि कोई टैरिफ इस अनुच्छेद के खंड (3) के अनुसार सहमति से तय नहीं हो पाता, अथवा यदि खंड (5) के अनुसार लागू अवधि के दौरान, एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को खंड (3) के उपबंधों के अनुसार सहमत टैरिफ की अपनी अस्वीकृति की सूचना देते हैं, तो दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से टैरिफ स्थापित करने का प्रयास करेंगे।

7. यदि वैमानिकी प्राधिकारी इस अनुच्छेद के खंड (4) के अंतर्गत उन्हें प्रस्तुत किसी टैरिफ पर, अथवा खंड (6) के अंतर्गत किसी टैरिफ की स्थापना पर सहमत नहीं हो पाते हैं, तो विवाद इस समझौते के अनुच्छेद 17 के उपबंधों के अनुसार सुलझाया जाएगा।

8. इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार स्थापित टैरिफ तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कोई नया टैरिफ स्थापित नहीं किया जाता। तथापि, कोई भी टैरिफ इस खंड के आधार पर उस तिथि के पश्चात बारह (12) महीनों से अधिक के लिए विस्तारित नहीं किया जाएगा, जिस तिथि को वह अन्यथा समाप्त हो गया होता।

अनुच्छेद 13

आय का अंतरण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन को प्रथम संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में अर्जित प्राप्तियों की व्यय पर अधिशेष/अतिरिक्त राशि को अपने प्रधान कार्यालय में प्रेषित करने का अधिकार प्रदान करता है। तथापि, ऐसे प्रेषण किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में किए जाएंगे, तथा उस संविदाकारी पक्ष के विदेशी विनिमय विनियमों के अधीन और उनके अनुसार होंगे जिसके क्षेत्र में राजस्व अर्जित हुआ है।

2. ऐसे अंतरण, मुद्रा भुगतान हेतु आधिकारिक विनिमय दर के आधार पर, अथवा जहां कोई आधिकारिक विनिमय दर न हो, मुद्रा भुगतान हेतु प्रचलित विदेशी विनिमय बाजार दरों पर प्रभावी किए जाएंगे।

3. यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच भुगतानों के निपटारे को शासित करने वाले विशेष प्रबंध प्रवर्तनशील हों, तो ऐसे समझौतों के प्रावधान इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के अंतर्गत निधियों के अंतरण पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 14

विमानन सुरक्षा

1. अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप, संविदाकारी पक्ष यह पुनः पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन की सुरक्षा हेतु एक-दूसरे के प्रति उनका दायित्व, इस समझौते का एक अभिन्न भाग है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों की व्यापकता को सीमित किए बिना, संविदाकारी पक्ष विशेष रूप से, 14 सितंबर, 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित विमान पर किए गए अपराधों और कुछ अन्य कृत्यों संबंधी अभिसमय, 16 दिसंबर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित विमानों के गैर-कानूनी अपहरण के दमन हेतु अभिसमय, तथा 23 सितंबर, 1971 को मॉन्ट्रियल में हस्ताक्षरित नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध गैर-कानूनी कृत्यों के दमन हेतु अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे।

2. संविदाकारी पक्ष, अनुरोध किए जाने पर, नागर विमान के गैर-कानूनी अपहरण तथा ऐसे विमान, उनके यात्रियों और चालक दल, हवाई अड्डों और हवाई दिकचालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य गैर-कानूनी कृत्यों को रोकने हेतु, तथा नागर विमानन की सुरक्षा के लिए किसी अन्य खतरे को रोकने हेतु एक-दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

3. पक्ष, अपने पारस्परिक संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित तथा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के प्रावधानों के रूप में विनिर्दिष्ट विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे, उस सीमा तक जहां तक ऐसे सुरक्षा प्रावधान पक्षों पर लागू होते हैं; वे यह अपेक्षा करेंगे कि उनके पंजीकरण के विमान के परिचालक, या ऐसे विमान परिचालक जिनका व्यवसाय का प्रमुख स्थान या स्थायी निवास उनके क्षेत्र में है, तथा उनके क्षेत्र में हवाई अड्डों के परिचालक, ऐसे विमानन सुरक्षा प्रावधानों के अनुरूप कार्य करें।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस बात पर सहमत है कि ऐसे विमान परिचालकों से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में प्रवेश, वहां से प्रस्थान, या वहां रहते हुए दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अपेक्षित उपर्युक्त खंड (3) में निर्दिष्ट विमानन सुरक्षा उपबंधों का पालन करें। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि विमान की सुरक्षा हेतु तथा बोर्डिंग या लोडिंग से पहले और उसके दौरान यात्रियों, चालक दल, हाथ के सामान, सामान, कार्गो और विमान भंडार के निरीक्षण हेतु उसके क्षेत्र के भीतर पर्याप्त उपाय प्रभावी रूप से लागू किए जाएं। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष किसी विशेष खतरे से निपटने के लिए उचित विशेष सुरक्षा उपायों हेतु दूसरे संविदाकारी पक्ष के किसी भी अनुरोध पर भी सहानुभूतिपूर्ण विचार करेगा।

5. जब नागर विमान के गैर-कानूनी अपहरण की कोई घटना या उसका खतरा, अथवा ऐसे विमान, उनके यात्रियों और चालक दल, हवाईअड्डों या हवाई दिकचालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य गैर-कानूनी कृत्य घटित होते हैं, तो संविदाकारी पक्ष संचार को सुगम बनाकर तथा ऐसी घटना या उसके खतरे को तीव्रता से और सुरक्षित रूप से समाप्त करने के आशय से अन्य समुचित उपायों द्वारा एक-दूसरे की सहायता करेंगे।

6. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, जहां तक व्यवहार्य हो, ऐसे उपाय करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गैर-कानूनी अपहरण के किसी कृत्य या अन्य गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के अधीन कोई विमान, जो उसके क्षेत्र में उतर गया हो, भूमि पर तब तक रोका जाए जब तक कि मानव जीवन की सुरक्षा के सर्वोपरि कर्तव्य के कारण उसका प्रस्थान आवश्यक न हो जाए। जहां भी व्यवहार्य हो, ऐसे उपाय पारस्परिक परामर्श के आधार पर किए जाएंगे।

7. इस अनुच्छेद के प्रावधानों से किसी भी विचलन से अनुच्छेद 15 के अनुसार निपटा जाएगा तथा यह इस समझौते के अनुच्छेद 4 के प्रयोग हेतु आधार गठित कर सकता है।

अनुच्छेद 15

परामर्श

घनिष्ठ सहयोग की भावना से, दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी इस समझौते के प्रयोग और निर्वचन पर नियमित रूप से विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 16

संशोधन

1. यदि किसी संविदाकारी पक्ष को इस समझौते के किसी उपबंध में संशोधन करना वांछनीय प्रतीत होता है, तो वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के साथ परामर्श का अनुरोध कर सकता है; ऐसा परामर्श, जो वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच हो सकता है और जो चर्चाओं या पत्राचार के माध्यम से हो सकता है, अनुरोध की तिथि से साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर प्रारंभ होगा। इस प्रकार सहमत किसी भी संशोधन को राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान द्वारा पुष्टि किए जाने पर प्रभावी माना जाएगा।

2. अनुबंध में विनिर्दिष्ट मार्गों में संशोधन, संविदाकारी पक्षों के सक्षम वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सीधी सहमति से किए जा सकते हैं तथा पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा उनकी पुष्टि की जाएगी।

अनुच्छेद 17

विवादों का निपटारा

यदि इस समझौते के निर्वचन या प्रयोग से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों आपस में वार्ता के माध्यम से इसे सुलझाने का प्रयास करेंगे, तथा ऐसा न हो पाने पर विवाद को निपटारे हेतु संविदाकारी पक्षों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

अनुच्छेद 18

बहुपक्षीय हवाई अभिसमयों की प्रयोज्यता

1. उस सीमा तक जहां तक वे इस समझौते के अंतर्गत स्थापित हवाई सेवाओं पर लागू होते हैं, अभिसमय के प्रावधान, समझौते की अवधि के लिए संविदाकारी पक्षों के बीच अपने वर्तमान स्वरूप में प्रभावी बने रहेंगे, मानो वे समझौते का एक अभिन्न भाग हों, जब तक कि दोनों संविदाकारी पक्ष अभिसमय में किसी संशोधन का अनुसमर्थन न कर दें, जो विधिवत प्रभावी हो चुका हो, ऐसी स्थिति में संशोधित अभिसमय इस समझौते की अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

2. यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के संबंध में कोई सामान्य बहुपक्षीय हवाई अभिसमय प्रभावी होता है, तो ऐसे अभिसमय के प्रावधान अभिभावी होंगे।

अनुच्छेद 19

अनुलग्नक

इस समझौते से संलग्न अनुलग्नक को समझौते का एक भाग माना जाएगा तथा समझौते के सभी संदर्भों में अनुलग्नक का संदर्भ शामिल होगा, सिवाय इसके कि जहां अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित हो।

अनुच्छेद 20

प्रभावी होना

आवश्यक संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुपालन के पश्चात, यह समझौता हस्ताक्षर की तिथि को प्रभावी होगा।

अनुच्छेद 21

निलंबन

कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस समझौते को निलंबित करने की अपनी इच्छा की लिखित सूचना दे सकता है। ऐसी सूचना एक साथ अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी संसूचित की जाएगी। यदि ऐसी सूचना दी जाती है, तो यह समझौता, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा सूचना की प्राप्ति की तिथि के बारह महीने पश्चात समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इस अवधि की समाप्ति से पूर्व समाप्ति की सूचना सहमति द्वारा वापस न ले ली जाए। दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा प्राप्ति की पावती के अभाव में, सूचना को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा सूचना प्राप्त होने के चौदह दिन बाद प्राप्त हुआ माना जाएगा।

यह समझौता नई दिल्ली में दिनांक 10 मई, 2001 को अंग्रेजी भाषा में दो मूल प्रतियों में संपन्न हुआ।

भारत सरकार की ओर से

तजाकिस्तान गणराज्य की सरकार की ओर से

अनुलग्नक

खंड I

भारत की नामित एयरलाइनों को निम्नलिखित मार्ग पर सहमत सेवाओं का परिचालन करने का अधिकार होगा:

उद्गम प्वाइंट	**मध्यवर्ती प्वाइंट**	**गंतव्य प्वाइंट**	**आगे के प्वाइंट**
भारत में प्वाइंट	अज़रबैजान, कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान में कोई भी बिंदु	दुशांबे	अज़रबैजान, कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान में कोई भी बिंदु

खंड II

तजाकिस्तान की नामित एयरलाइनों को निम्नलिखित मार्ग पर सहमत सेवाओं का परिचालन करने का अधिकार होगा:

उद्गम प्वाइंट	**मध्यवर्ती प्वाइंट**	**गंतव्य प्वाइंट**	**आगे के प्वाइंट**
तजाकिस्तान में प्वाइंट	अज़रबैजान, कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान में कोई भी बिंदु	नई दिल्ली	अज़रबैजान, कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान में कोई भी बिंदु

टिप्पणी:- प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइनें, पांचवीं स्वतंत्रता यातायात अधिकारों का प्रयोग किए बिना, प्रत्येक उड़ान पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में प्वाइंट ऑफ़ कॉल और अज़रबैजान, कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान में किसी प्वाइंट के बीच राउंड-रॉबिन, साइक्लिकल, कोटर्मिनल सेवाओं का परिचालन कर सकती हैं।